N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0117 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 14/06/2024 16:37 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 09/08/2023 **Date To (दिनांक तक):** 10/08/2023

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 10:55 बजे **Time To (समय तक):** 16:20 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 14/06/2024 **Time (समय):** 16:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 14/06/2024 16:37:47 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** WEST, 47 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** POLICE STATION CHOHTAN, BARMER

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** JAGDISH

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** FUSARAM

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 2002 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	HUDO KA TALA DHARASAR, CHOHTAN, BARMER, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	HUDO KA TALA DHARASAR, CHOHTAN, BARMER, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** 91-

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	SURENDRA KUMAR JANGU		पिता:DEEPARAM	1. KOJA, DHORIMANNA,BARMER,RAJAS

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		3,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 3,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें श्रीमान उप अधिक्षक पूलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों बाड़मेर विशय- भ्रष्ट कर्मचारी को रिश्वत लेते रंगें हाथो पकड़वानें बाबत। महोदय उपरोक्त विशय मे निवेदन है कि मैं जगदिश पूत्र श्री फूसाराम जाती जाट उर्म 22 वर्ष पैसा गाड़ी ड्राईवरिंग निवासी हूडो का तला धारासर पूलिश थाना चौहटन जिला बाड़मेर का इस प्रकार है कि मेरे पड़ोसी श्री भोमाराम पूत्र श्री चोखाराम जाती जाट ने पूलिश थाना चौहटन में मुकदमा नमबर 166-23 दिनांक 18/4/23 को मेरे व माता-पिता चाचा व चाची के खिलाफ दर्ज करवाया था जिसकी जांच श्री सूरेन्द्रसिंह मून्सी कर रहा था दिनांक 26/7/23 को श्री सूरेन्द्र सिंह व 5/4, जिनो ने मूझे पराईवेट सित्फ गाड़ी मे मूझे पकड़ कर पूलिश थाना चौहटन ले गये मेरे साथ मार-पिट कि 27/7/23 को मूझे कोर्ट मे पेश कर जैसी करवाया में दिनांक 5/8/23 को जमानत पर जेल से बाहर आया उसके बाद श्री सूरेन्द्र सिंह के चार दिन से लगोतार मेरे मोबाईल नं [redacted] पर श्री सूरेन्द्र सिंह के मोबाईल नमंबर [redacted] से मूझे कोलॅ कर मूकदमें मे मेरे माता-पिता व चाचा-चाची के नाम हटाने कि ऐवज मे 68 हजार रुपये मांग रहा है। जो मेरे मोबाईल में मांगी गई रिस्वत राषी रीकोर्ड है। तथा मूझे फोन पे धमकीया दे रहा है। पैसे देवो नहीं तो पूरे परिवार को जेल मो डाल दूंगा में श्री सूरेन्द्र सिंह मून्सी को रिस्वत के 68,000 हजार रुपये नही देकर रगें हाथो पकड़वाना चाहता हूँ। मेरे व श्री सूरेन्द्र सिह के बीच कोई लेन लेन देन कोई बकाया नही है। नही कोई आपसी रनजीस है। मेरा सौने का फूल भी मूंषी जी के पास जमा है। जिसको देने के लिए अलग से 5000रुपये भी मांग रहा है। अतः श्रीमान से निवेदन है०ा कि भ्रष्ट मूनसी श्री सूरेन्दर सिहं के खिलाफ कानूनी कारवायी करावे। हूँ एसडी/- नाम - जगदिश पिता - फूसाराम निवासी - हूडो का तला धारासर पी.एस. चौहटन मोबाईल नं०: [redacted] दिनांक 9/8/23 एसडी/- एसडी/- गौरव सैन चांदाराम सेजू 10/08/2023 10/08/2023 एसडी/- संग्रामसिंह भाटी उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बाड़मेर कार्यवाही पुलिस दिनांक 09.08.2023 वक्त 10.55 ए0एम0 इस समय उक्त हस्तलिखित रिपोर्ट प्रार्थी श्री जगदीश पुत्र श्री फूसाराम उम्र 22 वर्ष पैशा वाहन चालक, निवासी हूडो का तला, धारासर पुलिस थाना चौहटन जिला बाड़मेर ने ब्यूरो कार्यालय बाड़मेर पर उपस्थित होकर श्री संग्रामसिंह उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष इस आशय की पेश की कि "कि मेरे पड़ोसी श्री भोमाराम पुत्र श्री चोखाराम जाति जाट ने पुलिस थाना चौहटन में मुकदमा नमबर 166/2023 दिनांक 18/4/23 को मेरे व माता-पिता तथा चाचा व चाची के खिलाफ दर्ज करवाया था जिसकी जांच श्री सुरेन्द्रसिंह मुंशी कर रहा था। दिनांक 26.07.2023 को श्री सुरेन्द्रसिंह व 4-5, जने पुलिस पकड़ कर निजी सिफ्ट गाडी में डालकर पुलिस थाना चौहटन लेकर गये तथा मेरे साथ मारपीट की एवं मुझे दिनांक 27.07.2023 को कोर्ट में पेषी कर न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया था, जिस पर मैं दिनांक 05.08.2023 को कोर्ट से जमानत पर बाहर आया हूं। उसके बाद श्री सुरेन्द्रसिंह के चार दिन से लगातार मेरे मोबाईल नं [redacted] पर श्री सुरेन्द्रसिंह के मोबाईल नम्बर [redacted] से मुझे कॉल कर मुकदमें मे मेरे माता-पिता व चाचा-चाची के नाम हटाने कि एवज मे अडसठ हजार रुपये मांग रहा है। उसके द्वारा मेरे से मोबाईल पर वार्ता कर मांगी गई रिश्वत की रिकार्डिंग मेरे मोबाईल में रिकार्ड है तथा मुझे मोबाईल पर धमकिया भी दे रहा है कि पैसे देवो नहीं तो पूरे परिवार को जेल में डाल दूंगा। मैं श्री सुरेन्द्रसिंह मुंशी को रिश्वत के 68,000 /-रुपये नही देकर रगें हाथो पकड़वाना चाहता हु। मेरे व श्री सुरेन्द्रसिंह के बीच कोई लेन-देन बकाया नही है। न ही कोई रंजिश है। मेरा सौने का फूल भी मुंशी जी के पास जमा है, जिसको देने के लिए अलग से 5000रुपये भी मांग रहा है। दरियाफ्त पर परिवादी ने बताया कि श्री सुरेन्द्रसिंह मुझे बार-बार मोबाईल पर काल कर रिश्वत राशि पहुचाने का दबाव डाल रहा है। परिवादी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ अपने आधार कार्ड एवं वाहन चालक लाईसेंस की छाया प्रति भी प्रस्तुत की। परिवादी की रिपोर्ट एवं तकरीरन दरियाफ्त से मामला लोक सेवक द्वारा वैद्य कार्य के लिये रिश्वत की मांग करना प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन)अधिनियम की परिभाषा में आने से प्रथमतः रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से प्रथमतः रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाने का निर्णय लिया जाकर श्री लालाराम कानि0 328 को कार्यालय कक्ष में तलब किया जाकर परिवादी श्री जगदीश व श्री लालाराम कानि0 का आपस में परिचय करवाया गया। उप अधीक्षक पुलिस ने अलमारी से चोकी हाजा का डिजिटल टेप रिकार्डर निकालकर खाली होना सुनिष्चित कर परिवादी श्री जगदीश को उक्त डिजिटल टेप रिकार्डर को आपरेट करने की विधि की समझाईश की गई। परिवादी ने बताया कि मैने अपने सूत्रो से ज्ञात किया है कि श्री सुरेन्द्रसिंह मुंशी आज चौहटन स्थित अपने पुलिस थाने में ही

उपस्थित है, जो आज मेरे से रिश्वती राशि मांगने के सम्बंध में वार्ता कर लेंगे, जिस पर परिवादी के कहे अनुसार श्री लालाराम कानि0 को आवश्यक हिदायत कर ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकार्डर सुपूर्द कर परिवादी के साथ रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु पुलिस थाना चौहटन के लिए रवाना किया गया एवं श्री लालाराम कानि0 को हिदायत हुई की रिश्वती राशि मांग सत्यापन होने पर संक्षिप्त हालात जरिये मोबाईल अवगत करावें। तत्पष्चात रिश्वती राशि मांग सत्यापन में गये हुए श्री लालाराम कानि0 ने जरिये मोबाईल कॉल उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि निर्देशानुसार परिवादी के साथ चौहटन जाकर पुलिस थाना चौहटन के बाहर पहुच रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु परिवादी को ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकार्डर खाली होना सुरिष्चित कर आन कर श्री सुरेन्द्रसिंह हैड़ कानि0 से वार्ता कर उक्त वार्ता को ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड करने हेतु सुपूर्द किया, जिस पर परिवादी श्री जगदीश ने पुलिस थाने के अन्दर जाकर श्री सुरेन्द्रसिंह हैड़ कानि0 से वार्ता कर रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता को रिकार्ड किया एवं बाद सत्यापन डिजिटल टेप रिकार्डर को सुपूर्द किया, जिसे मेरे द्वारा स्वीच ऑफ कर मेरे पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने बताया कि श्री सुरेन्द्रसिंह हैड़ कानि0 पहले अपने स्टाफ के साथ वार्ता कर रहे थे, उसके बाद उन्हौने मेरे से मेरे मुकदमे के सम्बंध में वार्ता की एवं मेरे द्वारा थाने में जमा मेरे फुल को वापिस मांगने पर उन्हौने मेरे से 5000रुपये की मांग की, जिस पर मैने उनसे मेरे पास 2000रुपये ही होना बताया एवं उसी समय 2000रुपये श्री सुरेन्द्रसिंह मुंशी को दे दिये, जिस पर उन्हौने मेरे से 3000रुपये मेरा सोने का फुल देने की एवज में और मांगे है। परिवादी ने यह भी बताया कि श्री सुरेन्द्रसिंह मेरे फुल (आभूषण) को 3000रुपये लेने पर ही वापिस देगा, जो अवैध रुप से उसके कब्जे में है। श्री लालाराम कानि0 द्वारा बताये तथ्य पर उप अधीक्षक पुलिस ने श्री लालाराम कानि0 को परिवादी से वार्ता करवाने का कहने पर परिवादी श्री जगदीश से भी मेरी वार्ता करवाई, जिसमें परिवादी ने भी श्री लालाराम कानि0 द्वारा बताये तथ्यो की ताईद की। रिश्वती राशि मांग सत्यापन से आरोपी श्री सुरेन्द्रसिंह मुंशी द्वारा परिवादी के विरुद्व दर्ज मुकदमे में उसकी सहायता करने एवं उसका फुल वापस देने की एजव में 5000रुपये रिश्वत की मांग कर वक्त रिश्वती मांग सत्यापन 2000रुपये प्राप्त कर शेश 3000रुपये रिश्वत की और मांग की गई। परिवादी ने बताया कि उसके पिताजी बीमार है, वह अग्रिम कार्यवाही हेतु कल प्रातः चोकी बाड़मेर पर उपस्थित हो जायेगा। उप अधीक्षक पुलिस द्वारा श्री लालाराम कानि0 को हिदायत हुई कि परिवादी को श्री सुरेन्द्रसिंह हैड़ कानि0 द्वारा रिश्वत में मांगी जाने वाली राशि 3000रुपये की व्यवस्था कर कल दिनांक 10.08.2023 को प्रातः 10.00 ए0एम0 पर ब्यूरो चोकी बाड़मेर पर अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित आवें एवं अब तक की कार्यवाही की गोपनीयता बरतते हुए परिवादी श्री जगदीश को रुखस्त करे एवं चौहटन से रवाना होकर ब्यूरो चोकी पहुच उक्त डिजिटल टेप रिकार्डर को स्वयं के कब्जे में रखे एवं कल दिनांक 10.08.2023 को उप अधीक्षक पुलिस के ब्यूरो चोकी पर उपस्थित होने पर प्रस्तुत करे। ताबद उप अधीक्षक पुलिस मय श्री शेराराम कानि0 ड्रावर व सरकारी वाहन के ब्यूरो चोकी जैसलमेर के लिए श्री मोहम्मद हनीफ हैड़ कानि0 को आवष्यक हिदायत कर रवाना हुआ। दिनांक 10.08.2023 को उप अधीक्षक पुलिस, श्री कंवराजसिंह कानि0, श्री शिवप्रताप कानि0, श्री शेराराम वाहन चालक मय सरकारी वाहन के ब्यूरो चोकी बाड़मेर से प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही हेतु उपस्थित आया। पूर्व पाबंध सुदा परिवादी श्री जगदीश ब्यूरो चोकी में उप अधीक्षक पुलिस के कार्यालय कक्ष में उपस्थित आया। उप अधीक्षक पुलिस ने श्री लालाराम कानि0 को कार्यालय कक्ष में तलब किया, जिस पर श्री लालाराम कानि0 द्वारा उसके पास सुरक्षित रखा गया ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकार्डर प्रस्तुत किया, जिसमें परिवादी एवं आरोपी के मध्य रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप रिकार्ड है। परिवादी श्री जगदीश एवं श्री लालाराम कानि0 से रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप के हालात पूछने पर दोनो ने पूर्व में जरिये मोबाईल अवगत करवाये तथ्य बताये, जिस पर ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकार्डर को ऑन कर सुनने पर परिवादी के भाई के नाम मुकदमे में होने एवं परिवादी का सामान जो परिवादी की गिरफ्तारी के दौरान श्री सुरेन्द्रसिंह द्वारा अपने कब्जे में लिया गया था तो वापिस देने की एवज में 5000रुपये रिश्वत मांग 2000रुपये उसी समय प्राप्त करने एवं शेश 3000रुपये रिश्वत की और मांग करना पाया गया। डिजिटल टेप रिकार्डर को उप अधीक्षक पुलिस द्वारा स्वयं के कब्जे में लिया। ब्यूरो की प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने पर श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिशद् बाड़मेर के नाम तेहरीर क्रमांक 1078 दिनांक 10.08.2023 मूर्तिब कर स्वतंत्र गवाहान लाने हेतु श्री मोहम्मद हनीफ हैड़ कानि0 को रवाना किया, जिस पर श्री मोहम्मद हनीफ हैड़ कानि0 के साथ दो सरकारी गवाह कार्यालय तेहरीर क्रमांक 604 दिनांक 10.08.2023 के उप अधीक्षक पुलिस के कार्यालय कक्ष में उपस्थित हुए, जिस पर उप अधीक्षक पुलिस द्वारा स्वयं का परिचय देकर दोनो स्वतंत्र गवाह से परिचय प्राप्त करने पर उन्हौने अपना परिचय श्री गौरव सेन पुत्र श्री मांगीलाल सैन उम्र 30 वर्ष पैषा नौकरी निवासी रामनगर बाड़मेर हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकरी, जिला परिशद् बाड़मेर मोबाईल नम्बर एवं श्री चांदाराम सेजू पुत्र श्री लूम्बाराम सेजू उम्र 51 वर्ष पैषा नौकरी निवासी अम्बेडकर कालोनी बाड़मेर हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकरी, जिला परिशद् बाड़मेर मोबाईल नम्बर होना बताया, जिस पर पूर्व से उपस्थित परिवादी श्री जगदीश को दोनो गवाहान से परस्पर परिचय करवाया गया एवं परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दोनो गवाहान को पढ़ाया गया। दोनो गवाहान ने भी परिवादी से उक्त शिकायत के तथ्यो के सम्बंध में वार्ता कर पूर्ण तस्सली की। तत्पष्चात रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप को डिजीटल टेप रिकार्डर चालू कर परिवादी की

उपस्थिति में दोनो गवाहान को सुनाया गया। परिवादी की रिपोर्ट एंव वार्तालाप में सत्यापन से संबधित अंशो को सुनने के पश्चात अपने स्तर पर दोनों गवाहान ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अपने-अपने हस्ताक्षर करते हुए कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाहान बनने की सहमति प्रदान की। तत्पष्चात ट्रेप कार्यवाही में परिवादी श्री जगदीश एवं आरोपी श्री सुरेन्द्रसिंह हैड़ कानि0 के मध्य दिनांक 09.08.2023 को रुबरु हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप जो कार्यालय के डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड है। उक्त वार्ता को रूबरू दोनो स्वतंत्र मौतबिरान एवं परिवादी के सुन-सुन कर शब्द-बशब्द फर्द ट्रांस्क्रिप्ट् मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। कार्यालय के लेपटॉप के माध्यम से उक्त वार्तालाप को एक मेमोरी कार्ड 16जीबी में एवं दो सी0डी0 में श्री लालाराम कानि0 से लोड करवाया जाकर मेमोरी कार्ड को मूल मानते हुये कपडे की थेली में डालकर सील मोहर कर थेली पर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाये गये एवं एक सीडी अनुसंधान अधिकारी एवं एक मुलजिम सी.डी. को खुली रखी गई। आरोपी श्री सुरेन्द्रसिंह हैड़ कानि0 एवं परिवादी स्वयं की आवाज की पहचान परिवादी श्री जगदीश द्वारा की गई। उक्त मूल मेमोरी कार्ड की कपड़े की थैली एवं सी0डी0 को श्री मोहम्मद हनीफ हैड़ कानि0 को सुपूर्प कर सुरक्षित जमा मालखाना करवाया गया। तत्पष्चात उपरोक्त दोनों गवाहान के रूबरू परिवादी श्री जगदीश पुत्र श्री फूसाराम उम्र 22 वर्ष पैशा वाहन चालक, निवासी हूडो का तला, धारासर पुलिस थाना चौहटन जिला बाड़मेर को आरोपी श्री सुरेन्द्रसिह हैड कानि. को दी जाने वाली रिश्वती राशि पेश करने हेतु कहा गया, तो परिवादी श्री जगदीश ने पाँच सौ रुपये के छः नोट कुल 3,000 रुपये अपने पास से निकाल कर पेश किये जिनके नम्बर फर्द में अंकित किये गये जाकर कार्यालय हाजा के मालखाना को श्री हनीफ हैड.कानि0 से खुलवाया जाकर फिनोफथलीन पाउडर की शीशी मंगवाई जाकर श्री रघुवीरसिह कानि. से उक्त 3,000रू के सभी नोटों को एक अखबार के ऊपर रखवाकर प्रत्येक नोट पर हल्का-हल्का फिनोफ्थलीन पाउडर उक्त राशि के प्रत्येक नोट पर लगवाया गया। परिवादी श्री जगदीश की जामा तलाशी गवाह श्री गौरव सैन कनिष्ठ सहायक से लिवाई जाकर उसके पास कोई आपत्तिजनक दस्तावेजात व अन्य राशि नहीं रहने दी गई। परिवादी का मोबाईल उसके पास रहने दिया गया। उक्त फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त नोटों को परिवादी श्री जगदीश के पहने हुई पेन्ट की दाहिनी जेब में श्री रघुवीरसिह कानि. से रखवाये जाकर गवाहान के समक्ष परिवादी श्री जगदीश को हिदायत दी गई कि इस रिश्वती राशि को नहीं छुऐ आरोपी श्री सुरेन्द्रसिह हैड कानि. के मांगने पर ही उक्त रिश्वती राशि निकाल कर उसे देवें तथा आरोपी से हाथ नहीं मिलावे। साथ ही परिवादी श्री जगदीश को यह भी निर्देशित किया गया कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के बाद वो इस राशि को कहां रखता हैं, इस बात का ध्यान रखते हुए अपने सिर पर हाथ फैर कर या उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल पर या ब्यूरो के किसी अन्य स्टाफ के मोबाईल पर मिसकाल/कॉल करके गोपनीय ईशारा करें। तत्पश्चात एक कांच की साफ गिलास में साफ पानी भरकर मंगवाया गया। जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर गवाहान, परिवादी को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्री रघुवीरसिह कानि. के हाथों की अंगुलियों एवं अगुठों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने घोल का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। सभी हाजरीन को समझाईश की गई कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि के नोटों को हाथ लगाने और सोडियम कार्बोनेट के घोल में हाथ धुलाने पर घोल का रंग गहरा गुलाबी हो जायेगा। फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट के मिश्रण की क्रिया-प्रतिक्रिया व उपयोगिता के बारे में सभी को भली-भांति समझाया गया। फिर गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिंकवाया जाकर गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवा कर उस अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया, जिस पर नोटों को रखकर फिनोफथलीन पाउडर लगाया गया था। फिनोफथलीन पाउडर की शिशी को श्री रघुवीरसिह कानि. से कार्यालय हाजा के मालखाना में रखवायी जाकर श्री रघुवीरसिह कानि. से मालखाना के ताला लगवाया गया तथा समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्यों, गवाहान के हाथ एवं ट्रेप कार्यवाही हेतु उपयोग में लेने वाली सामग्री वगैरा को भी साफ पानी व साबुन से दो-दो बार धुलवाया गया। फिर ट्रेप पार्टी के सदस्यों की आपस में जामा तलाशी लिरवाई जाकर कोई आपतिजनक वस्तु एवं राशि आदि नहीं रहने दी गई। उप अधीक्षक पुलिस, ब्यूरो दल एवं गवाहान ने अपना-अपना मोबाईल अपने पास रखा। गवाहान को हिदायत दी गई कि जहां तक संभव हो परिवादी व आरोपी के बीच में होने वाली रिश्वती राशि लेन देन व वार्तालाप को देखने व सुनने का प्रयास करें। नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने वाले श्री रघुवीरसिह कानि. को कार्यालय हाजा में वास्ते निगरानी पीछे छोड़ने का निर्णय लिया जाकर फर्द हाजा मुर्तिब की जाकर सम्बंधित को पढकर सुनाई गई। सुन-समझ सही होना मान कर सम्बंधित ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये। रिश्वती राशि के नोटों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाने वाले श्री रघुवीरसिंह कानि0 को आवश्यक हिदायत देकर कार्यालय हाजा में छोडा जाकर श्री संग्रामसिंह उप अधीक्षक पुलिस, परिवादी श्री जगदीश, हमराह स्वतन्त्र गवाहान श्री गौरव सैन एवं श्री चांदाराम ब्यूरो जाब्ता श्री मोहम्मद हनीफ हैड़ कानि0 62, श्री मिश्रीमल कानि0 नं0 260, श्री ठाकराराम कानि0, श्री अनूपसिंह कानि0 नं0 397, श्री लालाराम कानि0, श्री सहदेवसिंह कनिष्ठ सहायक मय ट्रेप बॉक्स, कार्यालय का लेपटॉप, प्रिन्टर एवं आवश्यक सामग्री तथा डिजीटल टेप रिकार्डर के जरिये सरकारी वाहन बोलेरो संख्या आरजे 14 यूए 9364 एवं ब्यूरो चोकी जैसलमेर का जाब्ता श्री शिवप्रताप कानि0, श्री कंवराजसिंह कानि0 एवं श्री शेराराम वाहन चालक मय एसीबी चोकी जैसलमेर के सरकारी वाहन के ट्रेप कार्यवाही हेतु एसीबी चोकी बाड़मेर से परिवादी के बताये अनुसार पुलिस थाना चौहटन को रवाना होकर उपरोक्त फिकरा का रवाना सुदा उप अधीक्षक पुलिस एवं हमराहियान के कस्बा चौहटन में पुलिस

थाना चौहटन के सामने ही तरफ मुख्य बाखासर रोड़ पर पहुचा। परिवादी श्री जगदीश को ब्यूरो चोकी का डिजिटल टेप रिकार्डर चालू कर रिश्वती राशि लेन-देन हेतु मुख्य सड़क से पुलिस थाना चौहटन की तरफ भेजा एवं परिवादी को पूर्व निर्धारित गोपनीय ईशारे की हिदायत की। परिवादी श्री जगदीश के पीछे-पीछे श्री लालाराम कानि0 को भी भेजा एवं उप अधीक्षक पुलिस एवं हमरायान के परिवादी के निर्धारित गोपनीय ईशारे के इन्तजार में मुख्य सड़क पर वहाँ खडे वाहने में बैठे मुकीम हुए। तत्पष्चात दिनांक 10.08.2023 को मौतबिरान के रूबरू समय करीबन 4.09 पी0एम0 पर परिवादी श्री जगदीश ने पूर्व निर्धारित गोपनीय ईशारा उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल पर कॉल कर ईषारा किया, जिस पर उप अधीक्षक पुलिस द्वारा अन्य वाहन में उपस्थित ट्रेप दल को भी पुलिस थाना चौहटन में पहुचने बाबत जरिये मोबाईल सूचित किया। उप अधीक्षक पुलिस, दोनो स्वतंत्र गवाहान, ब्यूरो जाब्ता के पुलिस थाना चौहटन के लिए मुख्य सड़क से रवाना हुआ, इतने में सामने परिवादी आता मिला, जिस पर परिवादी से डिजिटल टेप रिकार्डर प्राप्त कर स्वीच ऑफ कर कब्जे में लिया एवं परिवादी श्री जगदीश ने बताया कि मैने थाने में पहुच संतरी को श्री सुरेन्द्रसिंह मुंशीजी का पूछा तो उन्हौने बताया कि सुरेन्द्रजी बाहर गये हुए है आप बात कर लो, जिस पर मैने उनको कॉल किया तो उन्हौने कहा कि मुझे आने में टाईम लगेगा, आप मूलजी से मेरी बात कराओं, जिस पर मुझे मूलजी थाने में नहीं मिले तो मैने सन्तरी श्री वीरसिंह से उनकी बात करवाई तो उन्हौने रुपये लेने का कहा, जिस पर वीरसिंह ने रुपये लेने से मना कर दिया एवं कहा कि किसी ओर को दे दे, जिस पर मुझे थाने में भरतकुमार मिले, उन्हौने भी मेरे से रुपये नहीं लिये एवं कुछ दूरी पर थाने के बाहर बने कक्ष के पास खडे व्यक्ति की तरफ जाने का कहा, जिस पर मैने श्री रामाराम जो पुलिस थाना चौहटन में लांगरी है को मैने 3000रुपये दिये, जिस पर उन्हौने उक्त 3000रुपये रिश्वत लेकर अपने पहने हुए सफेद पायजामे की दाहिनी जेब में रख लिये, जिस पर मैने उन्हें कहा कि यह 3000रुपये आप सुरेन्द्रसिंह मुंशीजी को दे देना, उसके बाद मैने आपको गोपनीय ईषारा किया एवं आपके सामने आने लगा। परिवादी ने गाड़ी में बैठते ही बताया कि श्री रामाराम लांगरी जिसने मेरे से 3000रुपये रिश्वत लेकर अपने पास रखी है वह सामने आ रहा है, जिस पर रुबरु गवाहान उक्त व्यक्ति को दस्तयाब कर पुलिस थाना चौहटन परिसर मे प्रवेश कर थानाधिकारी कक्ष में पहुच संतरी से थानाधिकारी के सम्बंध में पूछने पर बताया कि वह राजकार्य से बाहर गये हुए है, जिस पर थानाधिकारी के मोबाईल नम्बर प्राप्त कर उनको पुलिस थाना परिसर में आने हेतु कहा, जिस पर कुछ ही समय में थानाधिकारी पुलिस थाना परिसर मे उपस्थित आए। उप अधीक्षक पुलिस ने उनको ब्यूरो की गोपनीय कार्यवाही के सम्बंध में अवगत करवाकर अग्रिम कार्यवाही करने की अनुमति चाहने पर श्री जयकिशन सोनी निरीक्षक पुलिस ने अग्रिम कार्यवाही करने की अनुमति प्रदान की। उप अधीक्षक पुलिस ने स्वयं एवं हमाराहियान का परिचय देकर श्री रामाराम को उसका परिचय पूछने पर उसने अपना परिचय रामाराम पुत्र श्री डूंगराराम उम्र 55 वर्ष निवासी गांव बीजराड़ पुलिस थाना बीजराड़ जिला बाड़मेर होना एवं पुलिस थाना चौहटन में अस्थाई लांगरी के पद पर कार्य करना बताया, जिस पर रुबरु गवाहान परिवादी श्री जगदीश की तरफ ईषारा कर उसे पहचानने एवं उसकी किसी प्रकार की कोई राशि लेने के सम्बंध में पूछने पर बताया कि मैं इसका नाम नहीं जानता हूं, लेकिन यह पिछले काफी दिनो से थाने में आता-जाता रहता है। आज इसने मुझे 3000रुपये दिये एवं कहा कि सुरेन्द्रजी मुंशी को देने है, जिस पर मैने लेकर अपने पहने हुए पायजामे की जेब में रख लिये, जो मेरे पायजामे की जेब में है, उक्त रुपये किस बाबत मुझे दिये, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैने इनसे कोई रिश्वत नहीं ली है, मुझे यह भी जानकारी नहीं है कि यह रुपये रिश्वत के है, मैने सोचा की मुंशीजी बाहर है एवं कोई उधार दिये हुए रुपये होंगे जो सुरेन्द्रजी मांगते होंगे, इसलिए ले लिये, मैने कोई भी रिश्वत की राशि नहीं ली है, आरोपी श्री रामाराम लांगरी को श्री सुरेन्द्रसिंह मुंशी के सम्बंध में पूछने एवं वार्ता करवाने का कहने पर उसने कहा कि मेरे पास मोबाईल नहीं है, जिस पर आरोपी श्री सुरेन्द्रसिंह हैड़ कानि0 की थानाधिकारी से उपस्थिति के सम्बंध में पूछने पर थाना परिसर से बाहर राजकार्य में जाना बताया, जिस पर रुबरु गवाहान परिवादी के मोबाईल नम्बर से आरोपी श्री सुरेन्द्रसिंह के मोबाईल नम्बर पर कॉल करवाया जाकर परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन कर उक्त वार्ता को ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड करवाया गया। आरोपी ने परिवादी का कॉल रिसिव किया। वार्ता के दौरान परिवादी ने उनकी पुलिस थाने में वापिस आने एवं 3000रुपये देने के सम्बंध में वार्ता की तो श्री सुरेन्द्रसिंह ने कहा कि अब कॉल क्यो कर रहा है, जिस पर परिवादी ने 3000रुपये देने बाबत वार्ता की तो श्री सुरेन्द्रसिंह हैड़ कानि0 ने मोबाईल कट कर दिया इत्यादि वार्ता हुई। चूंकि रिश्वत राशि आरोपी के द्वारा किसी स्टाफ से वार्ता करवाकर उसको देना का कहा गया, किन्तु परिवादी द्वारा श्री रामाराम लांगरी को आरोपी श्री सुरेन्द्रसिंह हैड़ कानि0 से बिना वार्ता करवाये दे दी एवं उक्त रिश्वत राशि श्री रामाराम लांगरी को देने के उपरान्त भी उससे वार्ता नहीं करवाई, जिससे यह स्पष्ट है कि श्री रामाराम लांगरी को उक्त राशि रिश्वत की होने या आरोपी श्री सुरेन्द्रसिंह हैड़ कानि0 के कहने पर ही प्राप्त करने के तथ्य नहीं आए है। अब तक की कार्यवाही से स्पष्ट है कि है। चूंकि उक्त रिश्वत राशि को श्री रामाराम लांगरी द्वारा अब तक के तथ्य अनुसार अज्ञानता पूर्वक प्राप्त किया गया है, किन्तु उक्त रिश्वत राशि को प्राप्त कर स्वयं के कब्जे में लेने के कारण हाथ धोवन की कार्यवाही की जाना आवष्यक होने से अन्तिम तथ्य आईन्दा विस्तृत अनुसंधान से ज्ञात होने पर अग्रिम हाथ धोवन कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात पुलिस थाना चौहटन में थानाधिकारी कक्ष में ही श्री रामाराम लांगरी के हाथ धोवन की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए कांच की दो साफ गिलासों में पुलिस थाना चौहटन से ही साफ पीने का पानी मंगवाया जाकर

उक्त दोनो गिलासो में आधा-आधा साफ पानी भरकर दोनो गिलासो में एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे सभी हाजरीन ने रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन घोल के एक गिलास में श्री रामाराम लांगरी के दांहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया, जिसे सभी हाजरीनों ने हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शीशीयों में आधा-आधा भर सील मोहर कर चेपों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क आर.एच.-1 व आर. एच.-2 अंकित किया गया। इसी प्रकार तैयार घोल के दूसरे गिलास में श्री रामाराम लांगरी के बांये हाथ की अंगुलियों एवं अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीनों ने हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शीशीयों में आधा- आधा भर कर सील मोहर कर चेपों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क एलएच-1 व एल.एच-2 अंकित किया गया। श्री रामाराम लांगरी द्वारा रिश्वत राशि पायजामे की आगे की दाहिनी जेब में रखना बताने पर स्वतंत्र गवाह श्री चांदाराम सेजू कनिष्ठ सहायक से आरोपी की तलाशी लिरवाई जाने पर उनके पहने हुए सफेद पायजामे की आगे की दाहिनी जेब में कुछ राशि मिली, जिसमें पाँच-पाँच सौ रुपये के 06 नोट होना पाये गये, जिन्हें गिनवाने पर कुल 3000रुपये नकद होना पाये गये, उक्त बरामदा रिश्वती राशि का मिलान अन्य गवाह श्री गौरव सैन कनिष्ठ सहायक को पूर्व में तैयार फर्द पेशकशी दी जाकर नोटो के नम्बरो का मिलान करवाने पर हुबहु होना पाये गये, उक्त बरामदा रिश्वती राशि को एक कपडे़ में सिल चिट कर उस पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा ब्यूरो लिये गये। तत्पश्चात श्री रामाराम लांगरी की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री चांदाराम सेजू कनिष्ठ सहायक से लिरवाई गई तो आरोपी के पास कोई राशि, वस्तु या संदिग्ध दस्तावेजात नहीं पाए गये। तत्पश्चात श्री रामाराम लांगरी के पहने हुए पायजामे की आगे की दाहिनी जेब से रिश्वती राशि प्राप्त होने पर उसका धोवन लिया जाना आवश्यक होने से उसके पहने हेतु पुलिस थाना चौहटन में उसके कक्ष में से एक पेन्ट की व्यवस्था कर, पहने हुए पायजामे को उतरवाया जाकर पेन्ट पहनने हेतु दी गई एवं उक्त पायजामे की आगे की दाहिनी जेब का धोवन लेना प्रारम्भ किया। पुलिस थाना चौहटन से ही साफ पीने का पानी मंगवाया जाकर उक्त गिलास में आधा साफ पानी भरकर गिलास में एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे सभी हाजरीन ने रंगहीन होना स्वीकार किया, जिसमें श्री रामाराम लांगरी के उतरवाये गये पायजामे की आगे की दाहिनी जेब जहाँ से रिश्वत राशि बरामद हुई थी को उल्टवाकर उक्त गिलास में निचोड़ा गया, जिससे धोवन का रंग परिवर्तित होकर गहरा गुलाबी हो गया, जिसे सभी हाजरीनों ने गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शीशीयों में आधा-आधा भर सील मोहर कर चेपों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क पी-1 व पी-2 अंकित किया गया एवं उक्त पेन्ट को सुखाकर उक्त दाहिनी जेब पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर एक कपडे की थैली में डालकर सील्ड मोहर किया। श्री सुरेन्द्रसिंह हैड कानि0 के सम्बंध में गोपनीय रुप से मालूमात करने पर पाया गया कि आरोपी को एसीबी की कार्यवाही की जानकारी होने पर उसके द्वारा मोबाईल को स्वीच ऑफ कर वह अपनी सकूनत से रुहपोश हो गया है, जिस पर श्री सुरेन्द्रसिंह हैड़ कानि0 की सम्भावित स्थान पर तलाषी हेतु श्री मिश्रीमल कानि0, श्री शिवप्रताप कानि0, श्री शेराराम वाहन चालक मय वाहन के रवाना किया गया। परिवादी के विरुद्ध दर्ज प्रकरण संख्या 166/2023 पुलिस थाना चौहटन की मूल अनुसंधान पत्रावली के सम्बंध में थानाधिकारी से पूछने पर बताया कि उक्त मूल अनुसंधान पत्रावली श्री सुरेन्द्रसिंह हैड़ कानि0 के अनुसंधान जिम्मे होने से उनके कब्जे में उनके पास ही है। श्री सुरेन्द्रसिंह हैड़ कानि0 के पुलिस थाना चौहटन में कक्ष में उनके बक्से पर ताला लगा हुआ है, जिस पर उक्त कक्ष में बक्से को रुबरु गवाहान फर्द मूर्तिब कर पृथक से सिल चिट कर आईन्दा विधि अनुसार कार्यवाही कर पत्रावली प्राप्त करने का निर्णय लिया गया। पुलिस थाना चौहटन में परिवादी के प्रवेश होने पर उसके द्वारा जरिये मोबाईल आरोपी श्री सुरेन्द्रसिंह हैड़ कानि0 से वार्ता करने एवं रिश्वती राशि उसके उपस्थित नहीं होने पर किसे देने का पूछने पर आरोपी द्वारा थाने में उपस्थित किसी व्यक्ति से वार्ता करवाने का कहने पर सर्वप्रथम संतरी से वार्ता करवाने का कहने पर थाने में ड्यूटी पर उपस्थित संतरी श्री वीरसिंह कानि0 से वार्ता करवाई एवं तत्पष्चात श्री भरतकुमार कानि0 से वार्ता करवाई थी, जिस पर श्री वीरसिंह कानि0 को तलब कर परिवादी एवं रुबरु गवाहान परिवादी श्री जगदीश से हुई वार्तालाप के सम्बंध में पूछने पर बताया कि उक्त व्यक्ति को मैं नहीं जानता हूँ मैं आज दोपहर 12बजे से 6 पीएम तक संतरी ड्यूटी पर था, उस समय कुछ देर पहले उक्त व्यक्ति थाना परिसर में आया एवं मेरे से श्री सुरेन्द्रजी हैड़ कानि0 का पूछा तो मैने इसको काल कर वार्ता करने का कहा, जिस पर इसने मेरे सामने ही श्री सुरेन्द्रजी हैड़ कानि0 को कॉल किया एवं वार्ता की एवं मुझे कहा कि मैने बात कर ली, आप सुरेन्द्रजी से बात कर लो, जिस पर मैने इसके मोबाईल से ही वार्ता करते हुए उनको पूछा की आप उपर कमरे में हो क्या, इसको वहाँ भेजू, जिस पर श्री सुरेन्द्रजी हैड़ कानि0 ने मुझे कहा कि मैं यहा पर नहीं हूं, आप इसको बोल दो की एक घंटे बाद आये, जिस पर मैने इसको काम पूछा तो इसने कहा कि पैसे देने है, जिस पर मैने मना कर दिया एवं कहा कि आप एक घंटे बाद आना, जिस पर यह वहाँ से चला गया एवं कुछ समय बाद वापिस थाने में आया एवं मोबाईल पर वार्ता करते हुए कहा कि मूलाराम कौन है मुझे मिलना है, जिस पर पास ही खडे श्री भरत कानि0 ने कहा कि मेरी बात करवा दो, जिस पर उक्त व्यक्ति श्री भरतकुमार कानि0 से वार्ता करने लगे। उप अधीक्षक पुलिस द्वारा श्री भरतकुमार कानि0 को तलब हालात पूछने पर उसने बताया कि उक्त व्यक्ति को मैं नहीं जनता हूॅ यह कुछ समय पहले थाने

में मोबाईल पर वार्ता करता हुआ आया एवं श्री मूलाराम का पूछा तो मैने कहा कि क्या काम है किससे वार्ता करवानी है, जिस पर उसने मुझे मोबाईल दिया एवं कहा कि सुरेन्द्रजी से बात करो, जिस पर मैने इनके मोबाईल से सुरेन्द्रजी से वार्ता की तो सुरेन्द्रजी हैड़ कानि0 ने कहा कि इनसे लेकर के आप इसको मोटरसाईकल पर बैठाकर रवाना कर दो, जिस पर मैने सुरेन्द्रजी को कहा कि इसका मोबाईल रिकार्डिंग पर हो चुका है, जिस पर श्री सुरेन्द्रजी ने कहा कि मैं आपको वापिस मोबाईल पर कॉल कर रहा हूं। उसके बाद पुनः जगदीश के मोबाईल पर कॉल आया एवं जगदीश ने मुझे पैसे रखने का कहा, तब मैने कहा कि मुझे लेने नहीं है, तू जाने व तेरा काम जाने एवं मैने मना किया कि मैं पैसे नहीं लूंगा, तब उन्हौने कहा कि इसको मूलाराम से मिला दो, तब मैने कहा कि मूलाराम का मुझे पता नहीं। मेरे द्वारा पैसे लेने से मना करने पर यह मोबाईल पर वार्ता करता हुआ थाने से बाहर की तरफ निकल गया एवं सामने से श्री रामाराम लांगरी आ रहे थे। मैं उसके बाद थाने के अन्दर आ गया। उक्त व्यक्ति ने श्री रामाराम लांगरी से क्या वार्ता की या कोई रिश्वत उसे दी इसकी मुझे जानकारी नहीं है न ही मैने उनकी कोई वार्ता सुनी है। दौराने कार्यवाही बरामदगी रिश्वती राशि एवं हाथ धुलाई रुबरु गवाहान रिश्वती राशि लेन-देन के मुख्य अंश सुनने पर श्री वीरसिंह कानि0 एवं श्री भरतकुमार कानि0 द्वारा रिश्वत राशि नहीं लेने एवं परिवादी द्वारा श्री रामाराम लांगरी को रिश्वत राशि लेने एवं आरोपी श्री सुरेन्द्रसिंह हैड़ कानि0 से श्री रामाराम लांगरी को रिश्वत राशि देने से पूर्व एवं पश्चात वार्ता नहीं करवाने की पुष्टि हुई। ट्रेप कार्यावाही में परिवादी श्री जगदीश की निशादेही पर नक्शा मौका घटनास्थल मूर्तिब कर सम्बंधितान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई एवं ट्रेप कार्यवाही में परिवादी श्री जगदीश की एवं श्री रामाराम लांगरी के मध्य दिनांक 10.08.2023 को रुबरु हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप जो कार्यालय के डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड हो। उक्त वार्ता को रूबरू मौतबिरान एवं परिवादी के सुन-सुन कर शब्द-बशब्द फर्द ट्रांस्क्रिप्ट् मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। कार्यालय के लेपटाप के माध्यम से उक्त वार्तालाप को एक मेमोरी कार्ड 16जीबी में एवं दो सी0डी0 में श्री लालाराम कानि0 से लोड करवाया जाकर मेमोरी कार्ड को मूल मानते हुये कपडे की थेली में डालकर सील मोहर कर थेली पर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाये गये एवं एक सीडी अनुसंधान अधिकारी एवं एक मुलजिम सी.डी. को खुली रखी गई। आरोपी श्री सुरेन्द्रसिंह हैड़ कानि0, श्री रामाराम लांगरी एवं परिवादी स्वयं की आवाज की पहचान परिवादी श्री जगदीश द्वारा की गई। उक्त मूल मेमोरी कार्ड की कपड़े की थैली एवं सी0डी0 को श्री मोहम्मद हनीफ हैड़ कानि0 को सुपूर्प की गई। आरोपी श्री सुरेन्द्रसिंह हैड़ कानि0 की पतारसी हेतु गये हुए श्री मिश्रीमल कानि0, श्री शिवप्रतापसिंह कानि0, श्री षेराराम कानि0 मय वाहन चालक के उपस्थित आए एवं अवगत करवाया कि श्री सुरेन्द्रसिंह हैड़ कानि0 की सम्भावित स्थानो पर तलाश करने के उपरान्त भी नहीं मिलने पर गोपनीय सूत्र मामूर कर उपस्थित आए है। तत्पष्चात आरोपी श्री सुरेन्द्रसिंह हैड़ कानि0 के पुलिस थाना परिसर में स्थित कक्ष में रखे बक्से में परिवादी के विरुद्व दर्ज प्रकरण से सम्बंधित अनुसंधान पत्रावली एवं परिवादी के सोने के फुल के होने की सम्भावना को देखते हुए उक्त बक्से को रुबरु गवाहान सिचचिट कर उक्त बक्से को आईन्दा अनुसंधान अधिकारी की उपस्थिति में रुबरु गवाहान एवं आरोपी के समक्ष खोलने तक सुरक्षित रखने बाबत तेहरीर क्रमांक स्पेशल-01 दिनांक 10.08.2023 जारी कर उक्त सिलचिट युक्त बक्से को सुपूर्द कर प्राप्ति रसीद प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई एवं थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन को आरोपी श्री सुरेन्द्रसिंह हैड़ कानि. की उपस्थित ज्ञात कर अवगत करवाने एवं परिवादी के पैण्डिंग कार्य से सम्बंधित पत्रावली प्राप्त होने पर ब्यूरो चोकी को उपलब्ध करवाने बाबत जरिये पत्र क्रमांक स्पेशल-02 दिनांक 10.08.2023 से पाबंध किया जाकर ट्रेप कार्यवाही में रिश्वती राशि लेन-देन वार्तालाप का एक मूल मेमोरी कार्ड एवं दो डब सी0डी0 खुली एवं ट्रेप कार्यवाही के दौरान जब्त रिश्वती राशि 3,000रू0 शील्ड चिटयुक्त, पायजामा की शील्ड चिटयुक्त पैकेट, धोवन की शीशियां मार्क आरएच-01, आरएच-02, एलएच-01, एलएच-02, पी-01, पी-02 इत्यादि ट्रेप कार्यवाही में मौकी की कार्यवाही पूर्ण होने पर उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान के जरिये सरकारी वाहन एवं परिवादी श्री जगदीश के मय मालखाना आईटम के ब्यूरो चोकी बाड़मेर के लिए रवाना हुआ। श्री रामाराम लांगरी, श्री वीरसिंह कानि0 एवं श्री भरतकुमार कानि0 को आईन्दा प्रकरण के अनुसंधान के दौरान आवष्यकता होने पर उपस्थित होने बाबत तलब करने पर उपस्थित आने बाबत पाबंध किया। उप अधीक्षक पुलिस एवं ब्यूरो चोकी जैसलमेर के जाब्ता के रात्रि अधिक होने से चौहटन कस्बे में ही मुकीम रहा एवं श्री मोहम्मद हनीफ हैड़ कानि, दोनो स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री जगदीश एवं ब्यूरो चोकी बाड़मेर के जाब्ते को ब्यूरो चोकी बाड़मेर पहुचने बाबत निर्देषित किया एवं दोनो गवाहान को परिवादी श्री जगदीश एवं आरोपी श्री सुरेन्द्रसिंह हैड़ कानि0 के मध्य मोबाईल पर करवाई गई वार्तालाप की फर्द ट्रांसक्रिप्ट् मूर्तिब होना शेश होने से कल दिनांक 11.08.2023 को प्रातः 11.00 ए0एम0 पर उपस्थित होने बाबत निर्देषित किया। परिवादी श्री जगदीश को श्री लालाराम कानि0 के साथ ब्यूरो चोकी बाड़मेर में रात्रि विश्राम करने हेतु निर्देषित कर ट्रेप दल को रवाना किया। डिजिटल टेप रिकार्डर को उप अधीक्षक पुलिस ने स्वयं के पास सुरक्षित रखा। तत्पष्चात दिनांक 11.08.2023 को उप अधीक्षक पुलिस मय ब्यूरो जाब्ता जैसलमेर के जरिये सरकारी वाहन चौहटन से रवानासुदा ब्यूरो चोकी बाड़मेर पर उपस्थित हुआ। ब्यूरो चोकी बाड़मेर पर पूर्व से पाबंध सुदा दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री चांदाराम सेजू एवं श्री गौरव सैन व परिवादी श्री जगदीश उपस्थित मिले। श्री मोहम्मद हनीफ हैड़ कानि0 ने अवगत करवाया कि निर्देषानुसार पुलिस थाना चौहटन से रवाना होकर ब्यूरो चोकी पहुच ट्रेप कार्यवाही से सम्बंधित मालखाना आईटम को जमा मालखाना किया। ट्रेप कार्यवाही में परिवादी श्री जगदीश के मोबाईल से आरोपी श्री

सुरेन्द्रसिंह हैड कानि0 के मोबाईल पर दिनांक 10.08.2023 को पुलिस थाना चौहटन में कॉल करवाकर रुबरु गवाहान परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन कर उक्त वार्ता को ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड की गई थी, जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट् मूर्तिब करना शेश होने से उप अधीक्षक पुलिस द्वारा स्वयं की अभिरखा में रखे डिजिटल टेप रिकार्डर को निकालकर उक्त वार्ता को रूबरू मौतबिरान एवं परिवादी के सुन-सुन कर शब्द-बशब्द फर्द ट्रांस्क्रिप्ट् मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। कार्यालय के लेपटाप के माध्यम से उक्त वार्तालाप को एक मेमोरी कार्ड 08जीबी में एवं दो सी0डी0 में श्री लालाराम कानि0 से लोड करवाया जाकर मेमोरी कार्ड को मूल मानते हुये कपडे की थेली में डालकर सील मोहर कर थेली पर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाये गये एवं एक सीडी अनुसंधान अधिकारी एवं एक मुलजिम सी.डी. को खुली रखी गई। आरोपी श्री सुरेन्द्रसिंह हैड कानि0 एवं परिवादी स्वयं की आवाज की पहचान परिवादी श्री जगदीश द्वारा की गई। उक्त मूल मेमोरी कार्ड की कपड़े की थैली एवं दो डब सी0डी0 को श्री मोहम्मद हनीफ हैड़ कानि0 को सुपूर्द कर सुरक्षित जमा मालखाना करवाई गई। उक्त ट्रेप कार्यवाही में अब परिवादी श्री जगदीश, दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री चांदाराम सेजू कनिष्ठ सहायक एवं श्री गौरव सेन कनिष्ठ सहायक की आवष्यकता नहीं होने से रुखस्त किया गया। इस प्रकार सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी श्री जगदीश द्वारा ब्यूरो चोकी बाड़मेर में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने पर आरोपी श्री सुरेन्द्रसिंह हैड़ कानि0 द्वारा परिवादी से परिवादी के भाई का नाम मुकदमे में होने एवं परिवादी का सामान जो परिवादी की गिरफ्तारी के दौरान श्री सुरेन्द्रसिंह द्वारा अपने कब्जे में लिया गया था तो वापिस देने की एवज में 5000रुपये रिश्वत मांग कर 2000रुपये उसी समय प्राप्त करना एवं शेश 3000रुपये रिश्वत की और मांग करना पाया गया, जिस पर दिनांक 10.08.2023 को रुबरु स्वतंत्र मौतबिरान के ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया। परिवादी श्री जगदीश द्वारा रिश्वती राशि का लेन-देन हेतु पुलिस थाना चौहटन में जाकर आरोपी श्री सुरेन्द्रसिंह के सम्बंध में पूछने पर उसके पुलिस थाना परिसर से बाहर होने पर जरिये मोबाईल वार्ता करने पर आरोपी श्री सुरेन्द्रसिंह हैड़ कानि0 द्वारा एक घंटे बाद आने का कहा गया एवं तत्पष्चात उक्त रिश्वती राशि लेने बाबत थाने में पदस्थापित श्री मूलाराम कानि0 से वार्ता करवाने का कहा गया, किन्तु श्री मूलाराम कानि0 के उस वक्त थाने में उपस्थित नहीं होने पर थाने के सन्तरी से वार्ता करवाने पर श्री वीरसिंह कानि0 जो संतरी ड्यूटी पर था उसके द्वारा परिवादी के मोबाईल से ही श्री सुरेन्द्रसिंह हैड़ कानि0 से वार्ता की गई, जिस पर परिवादी श्री जगदीश द्वारा रिश्वती राशि श्री वीरसिंह को लेने का कहने पर उसके द्वारा मना करने पर कुछ समय पश्चात परिवादी श्री जगदीश द्वारा आरोपी श्री सुरेन्द्रसिंह हैड़ कानि0 की मोबाईल पर ही वार्ता श्री भरतकुमार कानि0 से करवाई गई, जिस पर आरोपी श्री सुरेन्द्रसिंह हैड़ कानि0 द्वारा श्री भरतकुमार कानि0 को रिश्वत लेकर परिवादी को भगाने की वार्ता की, किन्तु श्री भरतकुमार कानि0 द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि लेने का मना कर दिया, जिस पर परिवादी द्वारा पुलिस थाना चौहटन के बाहर की तरफ श्री रामाराम लांगरी को आरोपी श्री सुरेन्द्रसिंह हैड़ कानि0 से बिना वार्ता करवाये दे उक्त रिश्वत राशि दे दी एवं उक्त रिश्वत राशि श्री रामाराम लांगरी को देने के वक्त एवं देने के उपरान्त भी उससे वार्ता नहीं करवाई, जिससे यह स्पष्ट है कि श्री रामाराम लांगरी को उक्त राशि रिश्वत की होने या आरोपी श्री सुरेन्द्रसिंह हैड़ कानि0 के कहने पर ही प्राप्त करने के तथ्य नहीं आए है। ट्रेप कार्यवाही में उस वक्त तक की कार्यवाही से स्पष्ट है कि श्री रामाराम लांगरी को उक्त राशि रिश्वत की होना का संज्ञान नहीं होने से ही उसके द्वारा प्राप्त की गई है। चूंकि उक्त रिश्वत राशि को श्री रामाराम लांगरी द्वारा अब तक के तथ्य अनुसार अज्ञानता पूर्वक प्राप्त किया गया है, किन्तु उक्त रिश्वत राशि को प्राप्त कर स्वयं के कब्जे में लेने के कारण हाथ धोवन की कार्यवाही एवं नक्षा मौका फर्दात मूर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। ट्रेप कार्यवाही के दौरान परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप, रिश्वती राशि लेन-देन वार्तालाप, परिवादी के मोबाईल से आरोपी श्री सुरेन्द्रसिंह हैड़ कानि0 के मोबाईल पर कॉल करवाकर करवाई गई वार्तालाप से आरोपी श्री सुरेन्द्रसिंह हैड़ कानि0 पुलिस थाना चौहटन जिला बाड़मेर द्वारा परिवादी के जायज कार्य को करने की एवज में रिश्वती राशि मांग सत्यापन के दौरान 5000रुपये रिश्वत की मांग करना एवं दौराने मांग सत्यापन 2000रुपये प्राप्त कर शेश 3000रुपये देने की वार्ता करना एवं रिश्वती राशि लेन-देन के वक्त कार्यवाही के दौरान स्वयं के पुलिस थाना चौहटन में उपस्थित नहीं होने पर परिवादी को जरिये मोबाईल थाना स्टाफ से वार्ता करवाकर उक्त रिश्वती राशि को परिवादी से प्राप्त करने हेतु वार्ता करना पाया गया, किन्तु पुलिस थाना चौहटन के स्टाफ द्वारा मोबाईल वार्ता पर उक्त रिश्वत राशि प्राप्त नहीं करने एवं परिवादी श्री जगदीश द्वारा श्री रामाराम लांगरी को रिश्वत राशि देना पाया गया। आरोपी श्री सुरेन्द्रसिंह हैड़ कानि0 पुलिस थाना चौहटन जिला बाड़मेर का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण(यथा संशोधित) अधिनियम 1988 का कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में आरोपी का नाम श्री सुरेन्द्रसिंह अंकित किया गया था, किन्तु श्रीमान् जिला पुलिस अधीक्षक बाड़मेर से प्राप्त सेवा विवरण अनुसार सेवा रिकर्ड में आरोपी का नाम श्री सुरेन्द्र कुमार जांगु अंकित होने से आरोपी का नाम श्री सुरेन्द्र कुमार जांगु अंकित किया गया। अतः आरोपी श्री सुरेन्द्र कुमार जांगु पुत्र श्री दीपाराम उम्र 50 वर्ष पैशा नौकरी निवासी गांव पोस्ट कोजा पुलिस थाना धोरीमन्ना जिला बाड़मेर तत्कालीन हैड़ कानि0 नं0 389 पुलिस थाना चौहटन हाल पुलिस लाईन बाड़मेर के विरुद् जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु प्रेषित कर निवेदन है कि अपराध दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान

के आदेश फरमावे। भवदीय, (किशनसिंह चारण) उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बाड़मेर .....कार्यवाही पुलिस..... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री किशनसिह चारण, उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बाड़मेर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री सुरेन्द्र कुमार जांगू पुत्र श्री दीपाराम निवासी ग्राम पोस्ट कोजा पुलिस थाना धोरीमन्ना जिला बाड़मेर तत्कालीन हैड कानि0न0 389 पुलिस थाना चौहटन हाल पुलिस लाईन बाड़मेंर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्री कुयाराम पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सिरोही को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 221 पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर क्रमांक 596-99 दिनांक 14.06.2024 प्रतिलिपिः.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर-प्रथम। 2 जिला पुलिस अधीक्षक बाड़मेंर। 3 उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर । 4 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बाड़मेर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज., जयपुर

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** KUYARAM **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 14/06/2024 16:

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Vishanaram
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1974				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)